सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0–80/2023 **दिनांक– 01 मार्च 2023**

प्रेस- विज्ञप्ति

आजमगढ़ पुलिस ने 51 अपराधियों को किया गिरफ्तार; 55 व्यक्तियों के विरूद्ध 151 सीआरपीसी की कार्यवाही

➡आजमगढ़ पुलिस द्वारा अपराधियों के विरूद्ध जीरो टालरेन्स की ***पॉलिसी*** के अन्तर्गत अभियान चलाया गया बीती रात्रि सभी के यहां दबिश दी गयी।

➡ दबिश के दौरान आजमगढ़ पुलिस के द्वारा 51 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया जिसमें 35 वारण्टी, 06 एनडीपीएस एक्ट/आर्म्स एक्ट तथा विभिन्न मुकदमों में वांछित 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

➡55 व्यक्तियों के विरूद्ध 151 सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी। जिसमें नगर क्षेत्र से 28 तथा देहात क्षेत्र से 27 व्यक्तियों के विरूद्ध 151 सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी।

थाना देवगाँव

गैंगेस्टर एक्ट का अपराधी गिरफ्तार

1. पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण- दिनांक- 26.10.2022 को आवेदक श्री जिलेदार यादव पुत्र स्व0 बद्री यादव ग्राम रवनियां थाना बरदह जिला आजमगढ़ द्वारा लिखित तरहरी बावत विपक्षीगण द्वारा चन्दा देवी से मिली भगत करके आवेदक व आवेदक के गांव के अमलेश पुत्र राजमन व अभिलाष पुत्र हरदेव के खिलाफ थाना देवगांव क्षेत्र में दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में षड्यन्त्र करके मनगढंत प्रार्थना पत्र देने तथा थाना देवगांव दोनो पक्षो का आमना सामना होने पर चन्दा देवी द्वारा कहा गया पूरी बात झूठी है। तथा दिनांक 19.10.22 को आवेदक के मो0न0- 88xxxxxxxx पर मो0न0- 88xxxxxxxxx से अज्ञात व्यक्ति के द्वारा 90000.00 रुपये की मांग करना और जगह- जगह आवेदक को बुलाना तथा दिनांक 25.10.22 को आवेदक रुपया लेकर आजमगढ़ गया। तो विपक्षी द्वारा नरौली चौराहा के पास नदी के पुल पर 20000.00 रुपया ले लेना व और पैसे न मिलने पर आवेदक के उपर भडक जाना और भला बुरा कहते हुए शेष पैसा एक – दो दिन मे यही आकर दे जाने और न देने पर तुम लोगो की हत्या भी कर देने के धमकी देने के सम्बन्ध में

2. गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 28.02.2023 को गजानन्द चौबे थाना देवगाँव आजमगढ़ मय हमराह को सूचना मिली कि आपके थाने से सम्बन्धित मु0अ0सं0 90/2023 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 में वाँछित अभियुक्त श्रीकान्तपुर मोड़ पर कही जाने के फिराक में खड़ा हैं। इस सूचना पर तत्काल पुलिस श्रीकान्तपुर मोड़ के पास पहुँचकर पकड़ लिया गया। नाम पता पूछने पर अपना नाम श्यामसुन्दर यादव पुत्र इन्द्रबली यादव निवासी ग्राम रवनिया, थाना बरदह उम्र करीब 34 वर्ष बताया। अतः कारण गिरफ्तारी बताते हुए अपराध का बोध कराकर समय करीब 10.55 बजे निमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया।

पंजीकृत अभियोग का विवरण- मु0अ0सं0 90/2023 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना देवगांव, आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त- श्यामसुन्दर यादव पुत्र इन्द्रबली यादव निवासी ग्राम रवनिया, थाना बरदह उम्र करीब 34 वर्ष

क्र.सं.	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जिला
01	415/2022	420/386/120B/182/195 भादवि	देवगाँव	आजमगढ़
02	257/2021	452/376डी/384 भादवि	बरदह	आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्तः- श्यामसुन्दर यादव पुत्र इन्द्रबली यादव निवासी ग्राम रवनिया, थाना बरदह

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम-

1. प्र0नि0 गजानन्द चौबे मय हमराह थाना देवगाँव आजमगढ़

थाना कोतवाली नगर

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 01.03.2023 को उ0नि0 अखिलेश चन्द्र पाण्डेय मय हमराहियान द्वारा चेकिंग के दौरान मुकेरींगज स्थित चम्पारण मीट ढाबा के आगे पुलिया की तरफ से उमर शाहजहा पुत्र अहमद शाहजहा निवासी जालन्धरी थाना कोतवाली आजमगढ उम्र करीब 27 वर्ष को एक अदद देशी तमन्चा *315* बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस के साथ समय 05.00 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। नियमानुसार

अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 99/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत करते हुए गिरफ्तार अभियुक्त का चालन मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग का विवरण –

1-मु0अ0सं0 99/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1- उमर शाहजहा पुत्र अहमद शाहजहा निवासी जालन्धरी थाना कोतवाली आजमगढ उम्र करीब 27 वर्ष

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

01. 357/18 धारा 323/504 भादवि थाना कोतवाली आजमगढ़

02. 315/20 धारा 7/25 भादवि थाना कोतवाली आजमगढ़

03. 313/20 धारा 34/307 भादवि थाना कोतवाली आजमगढ़

बरामद माल- एक अदद देशी तमन्चा *315* बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाले टीम का विवरण –

1- उ0नि0 अखिलेश चन्द्र पाण्डेय चौकी प्रभारी पहाड़पुर मय हमराह थाना कोतवाली आजमगढ़ ।

थाना कोतवाली

किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना – दिनांक 11.09.2022 को वादिनी ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया कि वादिनी की नाबालिग लड़की को विपक्षी संदीप पुत्र सुभाष सा0 हरौड़ा रासेपुर बोंगरिया थाना तरवां जनपद आजमगढ़ व उसकी माता मदद से बहला फुसला कर भगा ले जाने के संबंध में मु0अ0सं0-461/22 धारा 120-बी/363/366 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण - उ0नि0 उ0नि0 धर्मराज यादव मय हमराहियान के मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त संदीप कुमार बनवासी पुत्र सुभाष निवासी हरौड़ा थाना तरवां जनपद आजमगढ़ करतालपुर तिराहे के पास से संदीप कुमार बनवासी पुत्र सुभाष निवासी हरौड़ा थाना तरवां जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष को कारण गिरफ्तारी बताते हुए दिनांक 01.03.2023 को समय 09.30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

1- मु0अ0सं0- 461/22 धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना कोतवाली नगर आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1-संदीप कुमार बनवासी पुत्र सुभाष निवासी हरौड़ा थाना तरवां जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाले टीम का विवरण –

1. उ0नि0 धर्मराज यादव चौकी प्रभारी ब्रह्मस्थान मय हमराह थाना कोतवाली आजमगढ़ ।

थाना- अतरौलिया

चोरी की घटना का अनावरण; चोरी गये सामान के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

1. पूर्व का विवरण- दिनाँक 27.02.2023 की रात लगभग 11.00 बजे अभियुक्त राघवेन्द्र पुत्र श्रीकान्त निवासी भीलमपुर छपरा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ नें वादी माणिक चन्द्र गौतम पुत्र स्व0 महेश राम निवासी भीलमपुर छपरा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ के मकान निर्माण के कारण बाहर मड़ई में रखे घर सारे वर्तन, खेत सिंचाई की पाइप, छत्त का पंखा, टेबल पंखा, प्रेस आदि सामान चुरा लिया। जिसके संबन्ध में थाना स्थानीय पर वादी की लिखित तहरीर पर मु0अ0सं0 62/2023 धारा 379 IPC दिनांक 28.02.23 को पंजीकृत किया गया। इसके पूर्व दिनांक 04.01.23 की रात में अज्ञात चोर द्वारा वादी प्रदीप कुमार पुत्र राधेश्याम निवासी

सेखौवना थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ के ट्रेक्टर से बैटरी चोरी कर ली गये। जिसके संबन्ध में थाना स्थानीय पर वादी की लिखित तहरीर पर मु0अ0सं0 41/2023 धारा 380 IPC दिनांक 12.02.23 को पंजीकृत किया गया था।

2. गिरफ्तारी का विवरणः- दिनांक 28.02.23 को उ0नि0 रामनिहाल वर्मा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त राघवेन्द्र पुत्र श्रीकान्त निवासी भीलमपुर छपरा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ को समय करीब 20.40 बजे हिरासत पुलिस लिया गया तथा बरामदगी के आधार पर धारा 411 IPC की बढ़ोत्तरी की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार मा0 न्यायालय/जेल भेजा गया।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि मणिकचन्द गौतम के घर में चोरी किया था। अभियुक्त की बतायी गयी बातो पार विश्वास करके अभियुक्त द्वारा बताये गये स्थान से चोरी का उपरोक्त सामान बरामद किया गया। अभियुक्त राधवेन्द्र उपरोक्त की नियमानुसार तलाशी ली गयी तो दाहिने जेब से 500 रुपये बरामद हुआ जिसके संबंध में पूछने पर बताया कि दो महीने पहले सेखौना गाँव के पास सडक किनारे खड़े ट्रैक्टर से बैटरी चोरी की थी जिसे अनजान व्यक्ति को दो हजार रुपये में बेच दिया था उसी का पैसा बचा है शेष पैसा खर्च हो चुका है। जिस संबंध में ज्ञात करने पार मालूम हुआ कि उक्त चोरी के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 41/23 धारा 380 भादवि पंजीकृत है। जिसकी विवेचना 379 IPC तरमीम होकर प्रचलित है । अतः अभियुक्त राधवेन्द्र उपरोक्त को कारण गिरफ्तारी बताते हुए

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 62/2023 धारा 379/411 IPC थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ
2. मु0अ0सं0 41/2023 धारा 379/411 IPC थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ

गिरफ्तार अभियुक्त

1. राघवेन्द्र पुत्र श्रीकान्त निवासी भीलमपुर छपरा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ

पूर्व का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 62/2023 धारा 379/411 IPC थाना अतरौलिया, आजमगढ
2. मु0अ0सं0 41/2023 धारा 379/411 IPC थाना अतरौलिया, आजमगढ
3. मु0अ0सं0 49/2022 धारा 60 Ex Act IPC थाना अतरौलिया, आजमगढ

बरामदगी – एक अदद भगौना, एक अदद सीलिंग पंखा, एक अदद टेबल पंखा व प्लास्टिक की पाईप, एक अदद प्रेस व 500 रुपये नगद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण – उ0नि0 रामनिहाल वर्मा , का0 धीरज सिंह थाना अतरौलिया आजमगढ़ ।